राजस्थान सरकार

राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर ☎+91–141–2702477, 2702528
E-mail :- raj.madarsa@rajasthan.gov.in, Website :-
Website :- www.minority.rajasthan.gov.in/madarsaboard

क्रमांकः/रामबो/जय/अकादमिक/2018–19 / 4562 दिनांक : 7/5/18

समस्त जिला अल्पसंख्यक
कल्याण अधिकारी अल्पसंख्यक
मामलात विभाग, जयपुर।

विषय :– मदरसों में नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्ययोजना 2018–19।

1. प्रस्तावना :– मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों के माध्यम से प्रदेश के गांवो, कस्बो, शहरों में प्रत्येक जिले में प्राथमिक एवं उ.प्रा. मदरसों तक की अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने के पश्चात भी मदरसों में अपेक्षित नामांकन वृद्धि नहीं होने तथा विद्यार्थियों के ठहराव में वृद्धि एवं ड्राप, आऊट की दिशा में वांछित सुधार नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रदेश में माह अप्रैल 2018, से जुलाई 2018 तक में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से मदरसों में विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से नामांकन वृद्धि अभियान चलाया जाना अपेक्षित है। सत्र 2018–19 में सघन नामांकन अभियान के अर्न्तगत वृद्धि करना निर्धारित करें।

   नामांकन लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु योजनाबद्ध रुप से इस वर्ष मदरसों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के आयोजन बाबत अध्यक्ष राज. मदरसा बोर्ड द्वारा दिशा, निर्देश जारी कियें गये है।

   मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अनेक सुविधाऐं यथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, मिड–डे–मील, निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण एवं उपचार, फर्नीचर, अभ्यास पुस्तिकाऐं, स्कूल बेग, छात्रवृति एवं अनेकों प्रकार की योजनाओं की सुविधाऐं दी जा रही है, परन्तु फिर भी अपेंक्षित नामांकन वृद्धि नहीं होने के कारण समाज के गरीब, कमजोर एवं उपेक्षित बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। इन्ही उपेक्षित बच्चों को ध्यान में रखकर नामांकन में वृद्धि को अर्जित करनें के क्रम में प्रभारी मानिटरिंग सुनिश्चित की जावें।

2. नामांकन लक्ष्य :– गत वर्ष मदरसों में नामांकन वृद्धि के सम्बंध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रों द्वारा आपको अवगत करवाया जा चुका है। कक्षा 01 से 05 में न्यूनतम 50 कक्षा 06 से 08 तक के मदरसों में न्यूनतम 100 विद्यार्थियों के न्यूनतम नामांकन की सुनिश्चितता सम्बंधित जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी उनके अधीन मदरसों के सदर/सचिव/पैरा टीचर द्वारा समन्वित प्रयासों से की जावेगी।

3. नामांकन वृद्धि हेतु प्रचार प्रसार :– मदरसों में नामांकन से वंचित समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किये जाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार एवं अधिकतम लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रवेशोत्सव को प्रभावी बनाने की दिशा में मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर अपने क्षैत्र के समाजसेवी, जन प्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर नामांकन लक्ष्य अर्जन की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जावे तथा कार्यक्रम की रुपरेखा तैयार कर मदरसों में अध्यनरत विद्यार्थियों का उसी मदरसें में ठहराव तथा ड्राप आऊट की दिशा में भी वांछित सुधार

किया जाकर परीक्षा समाप्ति के पश्चात तत्काल किया जावें। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम एवं नामांकरण वृद्धि के सफल एवं प्रभावी संचालन हेतु अधिनस्त मदरसा सदर/सचिव, राजकीय ऐजेंसियों, स्थानीय मिडिया, स्वयं सेवी संस्थाओं, गैर राजकीय संगठनों स्थानीय भामाशाहों का भी आवश्यकतानुसार सहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित करें।

4. <u>नामांकन वृद्धि हेतु प्रभावी मानिटरिंग</u> :–

<u>मदरसा स्तर पर</u> :– नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मदरसा सदर, सचिव, एवं सदस्य व्यक्तिगत रुचि लेकर नामांकन वृद्धि की प्राप्ति को सुनिश्चित करेंगे, तथा इसमें मदरसा प्रबन्धन एवं विकास समिति, वार्ड पार्षद, जन प्रतिनिधि एवं समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्पर्क कर नामांकन वृद्धि में पूर्ण सहयोग प्राप्त करें। प्रत्येक पैराटीचर को नामांकन का व्यक्तिगत लक्ष्य आवंटित करें। तथा व्यक्तिगत रुचि लेकर नॉडल मदरसा के माध्यम से सतत प्रबंधन करेंगे। उक्त बाबत आप अपने स्तर पर प्रत्येक पैराटीचर के साथ प्रवेशोत्सव से पूर्व एवं पश्चात की स्थिति पर चर्चा करें।

आगामी सत्र हेतु प्रदत्त कक्षावार नामांकन की प्राप्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाऐ तथा लक्ष्य आवंटित कर सदर/सचिव से अपेक्षा की जाती है कि जब तक नामांकन वृद्धि ना हो तक तक प्रत्येक दिवस पैराटीचर एवं मदरसा स्टाफ के साथ समीक्षा बैठक ले। प्रवेशोत्सव के पश्चात DMWO के साथ मदरसा सदर, सचिव एवं पैराटीचर्स, समन्वयक बैठक कर समीक्षा करेंगे।

5. <u>DMWO स्तर पर</u> :– DMWO अपने कार्यालय में नामांकन लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्यालय के द्वारा प्रत्येक तहसील में एक नॉडल मदरसे का चयन करके उस मदरसे के पैराटीचर्स एवं स्टाफ से तहसील की रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे तथा मदरसावार प्रगति प्रतिवेदन अर्जित करेंगे। जिन मदरसों में नामांकन लक्ष्य पूर्ति में कठिनाई आ रही है वहाँ स्वयं DMWO जाकर क्षैत्र के जनप्रतिनिधियों अन्य प्रशासनिक अधिकारी/मदरसा/सदर/सचिव से सहयोग लेकर लक्ष्यपूर्ति करवाने में सहयोग प्रदान करेंगे।

6. <u>राज्य स्तर पर गठन</u> :– राज्य के स्तर पर नामांकन की प्रगति एवं समीक्षा हेतु अकादमिक अधिकारी राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर की अध्यक्षता में प्रोग्रामर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की कमेटी का गठन किया जावेंगा। यह कमेटी जिलों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करेंगी।

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

क्रमांकः/रामबो/जय/अकादमिक/2018–19 4562 दिनांक : 7/5/2018

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
2. प्रोग्रामर अधिकारी, कार्यालय हाजा।
3. समस्त पंजीकृत मदरसा सदर, सचिव।
4. रक्षित पत्रावली।

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर